05.01.2026–पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अर्न्तगत प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. प्रस्तुत कर कथन किया है कि चक नम्बर 19 जे. आर.के. के खाता सख्या 299/257 व चक नम्बर 19 जे.आर.के. के खाता सख्या 301/220 मे कमश प्रार्थी का नाम **हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकाश व हनुमानप्रसाद उर्फ हनुवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश** सहबन से दर्ज है। जो सही नही है प्रार्थी का सही नाम **हनुवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश है** इसलिए इसी अनुसार नाम दुरूस्त किये जाने को अनुतोष याचित है

अतः प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक एल.आर/25/4106/दिनांक 19.12.2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि चक नम्बर 19 जे.आर.के. के खाता सख्या 299/257 व चक नम्बर 19 जे.आर.के. के खाता सख्या 301/220 मे दर्ज दोनो एक ही व्यक्ति के नाम के है। प्रार्थी द्वारा पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधारकार्ड, जनआधार, ड्राइविंग लाईसेंस नु पटवारी द्वारा दैनिक डायरी व अन्य दस्तावेजात मे **हनुवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश** होने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि चक नम्बर 19 जे.आर.के. के खाता सख्या 299/257 व चक नम्बर 19 जे.आर.के. के खाता सख्या 301/220 मे दर्ज खातेदार **हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकाश** व **हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकश एव हनुमानप्रसाद उर्फ हनुवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश** के स्थान पर **हनुवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश** दर्ज कर नाम दुरूस्ती की जावे। आदेशानुसार अमलदरामद किया जावे पत्रावली फैसला शुमार कर दाखिल दफतर की जाती है आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ